सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक कु०स०9228/2025 दिनाङ्क : 04.02.2025

कार्यालय-आदेश

संज्ञान में आया है कि कुछ संस्कृत महाविद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक से रिक्त पदों की परिपुष्टि प्राप्त कर शासनादेश (सं०1536/सत्तर-1-2022-16(79)/2018 दिनांक 13 मई 2022, जिसके द्वारा परिनियम में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 25.09.2019 निर्गत किये जाने के पूर्व के विज्ञापनों पर ही विषय-विशेषज्ञ दिये जा सकते हैं।) के विपरीत विज्ञापन कराकर विषय-विशेषज्ञ की माँग कर रहे हैं, जो विधिमान्य नहीं है। इस प्रकार के महाविद्यालय विषय-विशेषज्ञ की माँग कर रहे हैं और विशेषज्ञ न मिलने पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित कर रहें है। ऐसे समस्त अनुदानित संस्कृत महाविद्यालयों को इस आशय की सूचना प्रेषित की जाय कि जिन महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक ने परिपुष्टि प्रदान की है, उससे सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा यदि विज्ञापन कराया जाता है, तो विज्ञापन की प्रति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की परिपुष्टि कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध करायें, जिसे विश्वविद्यालय की वेवसाईट पर अपलोड किया जा सके। ऐसा न करने वाले महाविद्यालयों के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रबन्धतन्त्र द्वारा की गयी कार्यवाही को विधिशून्य माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन समस्त महाविद्यालयों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार)
आई०ए०एस०
कुलसचिव

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सम्बद्ध अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से कि उपरोक्त आदेश को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड एवं समस्त अनुदानित महाविद्यालयों को उनके लॉगिन आई.डी. के माध्यम से सूचित करायें।
5. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
6. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

04/2/2025

(राकेश कुमार)
आई०ए०एस०
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner